

फारम-VIII-ख

भूमि विकास अनुज्ञा के अनुमोदन का फारम
उपविधि संख्या-68(3)

आप के आवेदन संख्या- C.No - 533/23-24 तिथि- 04.12.23 के संदर्भ में श्रीमति/श्री श्रीमती प्रकाश
के लिए

- (क) भूमि विकास की अभिन्यास (ले-आउट) योजना के लिए
(ख) भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के लिए

शुक्ति नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार
शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित
विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के 410, 407, 412, 403, 404, 405, 406
411, 413, 408, प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) 323, 326 खाता नं० 1092
गाँव शुक्ति मोहल्ला बेल्हारी वार्ड नं० 43 के बाबत निम्नलिखित

शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-
भूमि का उपयोग अनन्य रूप से प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व
अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया
जाएगा।

- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया — वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और
इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 13.4 मीटर चौड़ाई के पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/ आयोजना
प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी
योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ —
— नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1:5
मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीनों वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति उस भूखंड, जिसके योजना अनुमोदित की गई हो, के
अधिकार/हक/हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बात कोई विवाद
होने पर, विवाद की अवधि के दौरान योजना स्वतः रद्द समझी जाएगी।
(ञ) कोई अन्य शर्त।

आदेशाधिकारी
प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार



कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फार्म- VIII "क"

(भवन परमिट हेतु अनुमोदन फार्म)

उपविधि संख्या- 8(4)

आवेदन संख्या CN- 221/23-24, दिनांक 22-9-23 के संदर्भ में

श्रीमति/श्री शोभा प्रकाश, पिता/पति राम नारायण सिंह जिला- पूर्णिया के लिए

- (क) 6+2 भवन के निर्माण
(ख) भवन के पुननिर्माण
(ग) भवन के परिवर्तन
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

पूर्णिया नगर निगम पूर्णिया/बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास योजना/आयोजन प्राधिकार/आयोजना स्कीम के

..... प्लॉट नं० 1104, 405, 407, 403(P) 2003(P) प्लॉट नं० (एम0एस0पी0)

खाता संख्या 326, 323 होल्डिंग संख्या 1092, गाँव पूर्णिया, मोहल्ला बेलौरी

वार्ड नं० 43 के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

- (क) भू-भवन का उपयोग आवासीय/व्यवसायिक के रूप में प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जायेगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 508.82 Sqm वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 20'8.60' मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा के अवश्य हो।
- (च) रुड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या मानक बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) कोई अन्य शर्त।



[Signature]
नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।